INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (4th ग्रेड)

(राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB))

भाग – 2

राजस्थान का सामान्य ज्ञान + संविधान

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा (4th ग्रेड)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा"** में पूर्ण संभव मदद करेंगें।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/0hjokf

Online Order करें - https://shorturl.at/Q6pjL

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

	राजस्थान का इतिहास	
क्र.सं.	अध्याय	पेज नंबर
1.	प्रागैतिहासिक सभ्यताएं	1
2.	ऐतिहासिक केंद्र	5
3.	प्रमुख राजवंश	6
4.	स्वतंत्रता आंदोलन (1857 का स्वतंत्रता संग्राम)	45
5.	राजस्थान का एकीकरण	51
	राजस्थान की कला संस्कृति	
1.	भाषा एवं साहित्य व बोलियाँ	53
2.	वेशभूषा एवं आभूषण	56
3.	वाद्ययंत्र	58
4.	लोक देवता एंव लोक देवियाँ	65
5.	मेले और त्यौंहार	72
6.	लोक कलाएं	83
7.	वास्तुकला	92
8.	लोकसंगीत (लोकगीत)	104
9.	लोक नृत्य एवं लोक नाट्य	108
10.	पर्यटन स्थल एवं परिपथ	118
11.	राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व	120
	राजस्थान की राज्यव्यवस्था	
1.	राज्यपाल	123
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	128
3.	राजस्थान विधानसभा	135
4.	उच्च न्यायालय	142

5.	राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव	146
6.	जिला प्रशासन	150
7.	पंचायती राज	153
8.	सूचना का अधिकार अधिनियम एवं राज्य सूचना आयोग	161
	राजस्थान का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	163
2.	प्रमुख भू – आकृतिक प्रदेश एवं ऊनकी विशेषताएं	175
3.	जलवायु की विशेषताएं	183
4.	राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें	188
5.	प्राकृतिक वनस्पति	203
6.	मृदा संसाधन	210
7.	प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें	212
8.	जनसंख्या वृद्धि-घनत्व साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ	218
9.	परिवहन	221
	भारत का संविधान	
1.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	225
2.	संविधान सभा	227
3.	संविधान की विशेषताएं	229
4.	भारतीय संविधान के स्त्रोत	232
5.	भारतीय संविधान के भाग	233
6.	संघ एवं राज्य क्षेत्र	234
7.	भारतीय नागरिकता	234
8.	मौलिक अधिकार	235
9.	नीति निदेशक तत्व	238

10.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	239
11.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	243
12.	भारतीय संसद (विधायिका) (art. 79-123)	248
13.	सर्वोच्च न्यायालय	253

राजस्थान का इतिहास

अध्याय – I

प्रागैतिहासिक सभ्यताएं

1. बागौर (भीलवाड़ा)

- भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1967-68 से 1969-70 की अवधि में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग एवं दक्कन कॉलेज, पुणे के तत्त्वावधान में श्री वी.एन. मिश्र एवं डॉ. एल.एस. लेशनि के नेतृत्व में हुआ है ।
- यहाँ से मध्य पाषाणकालीन (Mesolithic) लघु पाषाण उपकरण व वस्तुएँ (Microliths) प्राप्त हुई हैं।
- बागौर के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल विभाजन के क्रम से तीन चरणों में विभाजित किये गये हैं। प्रथम चरण 3000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक, द्वितीय चरण 2000 वर्ष ईसा पूर्व से 500 वर्ष ईसा पूर्व का एवं तृतीय चरण 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईस्वी सदी तक की मानव सभ्यता की कहानी कहता है ।
- इन पाषाण उपकरणों को **स्फटिक** (Quartz) एवं चर्ट पत्थरों से बनाया जाता था। इनमें मुख्यतः पृथुक (Flake), फलक (Blade) एवं अपखण्ड (Chip) बनाये जाते थे। ये उपकरण आकार में बहुत छोटे (लघु अश्म उपकरण- Microliths) थे।
- बागौर में उत्खनन में पाषाण उपकरणों के साथ-साथ एक मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है।
- यहाँ पाये गये लघु पाषणा उपकरणों में ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, बेधक एवं चांद्रिक आदि प्रमुख हैं।
- ये पाषाण उपकरण चर्ट, जैस्पर, चाल्डेसनी, एगेट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों से बनाये जाते थे। ये आकार में बहुत छोटे आधे से पौंने इंच के औजार थे ये छोटे उपकरण संभवतः किसी लकड़ी या हड्डी के बड़े टुकड़ों पर आगे लगा दिये जाते थे।
- इन्हें मछली पकड़ने, जंगली जानवरों का शिकार करने, छीलने, छेद करने आदि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। इन उपकरणों से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना एवं कंद-मूल फल एकत्रित करने की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।
- यहाँ के प्रारंभिक स्तरों पर घर या फर्श के अवशेष नहीं मिलना साबित करता है कि यहाँ का मानव घुमक्कड़ जीवन जीता होगा।
- बागौर में द्वितीय चरण के उत्खनन में केवल 5 ताम्र उपकरण मिले हैं, जिसमें एक सूई (10.5 सेमी लम्बी), एक कुन्ताग्र (Spearhead), एक त्रिभुजाकार शस्त्र, जिसमें दो छेद हैं, प्रमुख हैं ।
- इस चरण के उत्खनन में मकानों के अवशेष भी मिले हैं जिससे पुष्टि होती है कि इस समय मनुष्य ने एक स्थान पर स्थायी जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया था।
- इस काल की प्राप्त हड्डियों में गाय, बैल, मृग, चीतल, बारहसिंघा, सूअर, गीदड़, कछुआ आदि के अवशेष मिले हैं।
- कुछ जली हुई हड्डियाँ व मांस के भुने जाने के प्रमाण मिलने से अनुमान है कि इस काल का मानव मांसाहारी भी था तथा कृषि करना सीख चुका था।
- **बागौर उत्खनन** में कुल **5 कंकाल** प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि शव को दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम में लिटाया जाता था तथा उसकी टांगे मोड़ दी जाती थी।
- सभ्यता के तृतीय चरण में शव को उत्तर-दक्षिण में लिटाने एवं टांगे सीधी रखने के प्रमाण मिले हैं।
- शव को मोती के हार, ताँबे की लटकन, मृदभाण्ड, मांस आदि सहित दफनाया जाता था। खाद्य पदार्थ व पानी हाथ के पास रखे जाते थे तथा अन्य वस्तुएँ आगे-पीछे रखी जाती थी।
- तृतीय चरण के एक कंकाल पर ईंटों की दीवार भी मिली है, जो समाधि बनाने की द्योतक है। मिट्टी के बर्तन यहाँ के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के उत्खनन में मिले हैं।
- द्वितीय चरण के मृदभाण्ड मटमैले रंग के, कुछ मोटे व जल्दी टूटने वाले थे। इनमें शरावतनें, तश्तरियाँ, कटोरे, लोटे, थालियाँ, तंग मुँह के घड़े व बोतलें आदि मिली हैं। (ये मृदभाण्ड रेखा वाले तो थे परन्तु इन पर अलंकरणों का अभाव था।
- ऊपर से लाल रंग लगा हुआ है। ये सभी हाथ से बने हुए हैं) (तृतीय चरण के मृदभाण्ड पतले एवं टिकाऊ हैं तथा चाक से बने हुए हैं। इन पर रेखाओं के अवशेष मिले हैं, परन्तु अलंकरण बहुत कम मिले हैं।
- (आभूषण: बागौर सभ्यता में मोतियों के आभूषण तीनों स्तरों के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। हार तथा कान की लटकनों में मोती बहुतायत से प्रयुक्त किये जाते थे।
- **मकान : बागौर में मकानों के अवशेष द्वितीय एवं तृतीय चरण** में प्राप्त हुए हैं। मकान पत्थर के बने हैं। फर्श में भी पत्थरों को समतल कर जमाया जाता था।
- बागौर में मध्यपाषाणकालीन पुरावशेषों के अलावा लौह युग के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के प्रारंभिक निवासी आखेट कर अपना जीवन यापन करते थे। परवर्ती काल में वे पशुपालन करना सीख गये थे। बाद में उन्होंने कृषि कार्य भी सीख लिया था।

2. कालीबंगा की सभ्यता –

कालीबंगा की सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी । नदी का नाम है – **सरस्वती नदी** । इसे **द्वेषनदी, मृतनदी, नटनदी** के नाम से भी जानते हैं।
यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी हनुमानगढ़ जिले में एक अन्य सभ्यता जिसे **पीलीबंगा** की सभ्यता कहते हैं विकसित हुई।

इस सभ्यता की खोज –

- इस सभ्यता के खोजकर्ता **अमलानंद घोष** हैं। इन्होंने 1952 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की थी।

- इनके बाद में इस सभ्यता की खोज दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की गई थी जो 1961 से 1969 तक चली थी।

1. **बृजवासीलाल (बी.बी. लाल)**
2. **बीके (बालकृष्ण) थापर**

इन्हीं दोनों ने इस सभ्यता की विस्तृत रूप से खोज की थी

- इस सभ्यता का कालक्रम **कार्बन डेटिंग पद्धति** के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है।
- कालीबंगा शब्द "सिंधीभाषा" का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है – **"काले रंग की चूड़िया"**। इस स्थल से काले रंग की चूड़ियों के बहुत सारी ढेर प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया।
- कालीबंगा की सभ्यता भारत की ऐसी पहली सभ्यता स्थल है जो **स्वतंत्रता के बाद खोजी** गई थी। यह एक **कांस्य युगीन सभ्यता** है।
- हनुमानगढ़ जिले से इस सभ्यता से संबंधित जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है उनको सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा **1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय** की स्थापना की गई थी। यह संग्रहालय **हनुमानगढ़** जिले में स्थित है।

<u>इस सभ्यता की विशेषताएँ –</u>

- इस सभ्यता की सड़के एक दूसरे को **<u>समकोण</u>** पर काटती थी। इसलिए यहाँ पर मकान बनाने की पद्धति को **"ऑक्सफोर्ड पद्धति"** कहते हैं। इसी पद्धति को **'जाल पद्धति, ग्रीक, चेम्सफोर्ड पद्धति'** के नाम से भी जानते हैं।
- मकान कच्ची एवं पक्की ईंट के बने हुए थे, आरम्भ में ये कच्ची ईंटें थीं इसलिए इस सभ्यता को दीन हीन सभ्यता भी कहते हैं। इन ईंटों का आकार 30×15×7.5 है।
- इन मकानों की खिड़की एवं दरवाजे पीछे की ओर होते थे।
- यहाँ पर जो नालियां बनी हुई थी वह लकड़ी (काष्ठ) की बनी होती थी। आगे चलकर इन्हीं नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था।
  (विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान जहां लकड़ियों की बनी नालियाँ मिली है वह कालीबंगा स्थल है) **(परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण)**
- विश्व की प्राचीनतम **जुते हुए खेत** के प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं।
- यहाँ पर मिले हुए मकानों के अंदर की दीवारों में दरारें मिलती हैं इसलिए माना जाता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं।
- यहाँ के लोग एक साथ में **दो फसलें** करते थे अर्थात् फसलों के होने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं **जौ और गेहूं।**
- यहाँ पर उत्खनन के दौरान **यज्ञकुंड / अग्नि वेदिकाएं** प्राप्त हुए हैं यहाँ के लोग **बलिप्रथा** में भी विश्वास रखते थे।
- इस सभ्यता का पालतू जीव **कुत्ता** था। इस सभ्यता के लोग **ऊँट** से भी परिचित थे इसके अलावा **गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा से** भी परिचित थे।
- विश्व में प्राचीनतम् नगर के प्रमाण यहीं पर मिले हैं इसलिए इसे **नगरीय सभ्यता** भी कहते हैं यहाँ पर मूर्तिपूजा, देवी / देवता के पूजन, चित्रांकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
- यहाँ पर समाधि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर **समाधि तीन प्रकार** की मिलती हैं अर्थात् तीन प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था
- अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को दफनाना। इस गड्ढे में व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर होते थे।
- अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा करके दफनाना।
- एक गड्ढा खोदकर व्यक्ति के साथ आभूषण को दफनाना।
- **स्वास्तिक चिह्न** का प्रमाण इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है इस स्वास्तिक चिह्न का प्रयोग यहाँ के लोग वास्तुदोष को दूर करने के लिए करते थे।
- कालीबंगा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की **समानता** के प्रमाण **बेलनाकार बर्तन** में मिलते हैं।
- यहाँ पर एक **कपाल** मिला है **जिसमें छः प्रकार के छेद** थे। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग **शल्य चिकित्सा** से परिचित थे अर्थात् शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं।
- यहाँ पर एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसके एक ओर स्त्री का चित्र है तथा दूसरी ओर **चीता** का चित्र बना हुआ है अर्थात् अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर परिवार की **मातृसत्तात्मक प्रणाली** का प्रचलन था।
- कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की **तीसरी राजधानी** कहा जाता है।
- कालीबंगा सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था।
- इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे, इसका प्रमाण **सामूहिक तंदूर** से मिलता है क्योंकि तंदूर मध्य-एशिया से संबंधित है।
- इस सभ्यता के भवनों का **फर्श सजावट** एवं अलंकृत के रूप में मिलता है।
- राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना कर दी गई है।
- पाकिस्तान में 'कोटदीजी' स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते – जुलते हैं। **(परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।)**
- सिन्धु-सरस्वती सभ्यता का विनाश: संभवत् भूकम्प या भूगर्भीय व जलवायु के परिवर्तन के कारण इस समृद्ध नगरीय सभ्यता के केन्द्र का नाश हो गया था। जो समुद्री हवाएँ पहले इस ओर नमी-युक्त बहती थीं, वे हवाएँ कच्छ के रण से गुजर कर सूखी चलने लगी।
- संभवतया इसीलिए यह क्षेत्र धीरे-धीरे रेत का समुन्द्र बन गया।
- इस क्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी का जो वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, वह धीरे-धीरे रेत के समुन्द्र में लुप्त हो गई। भूकम्प के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं मिलते हैं।

- बीकानेर के शासक **सार्दूलसिंह** के द्वारा सर्वप्रथम **7 अगस्त 1947 ई.** में रियासती विलयपत्र पर हस्ताक्षर किए गए ।
- सार्दूल सिंह ने 'नोता' (विवाह निमंत्रण कर) तथा 'तख्तनशीनी की भाछ' (उत्तराधिकार कर) समाप्त किया था ।
- सार्दूल सिंह द्वितीय विश्वयुद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए बर्मा व ईरान गये थे ।
- इन्हीं के काल में **दूधवा खारा आंदोलन** हुआ ।
- महाराजा सार्दूलसिंह ने **के. एम. पणीकर** को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया ।
- सार्दूलसिंह के समय में ही राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना (I.G.N.P) का निर्माण इंजीनियर कँवरसेन के द्वारा किया गया ।
- यह बीकानेर के **राठौड़ वंश का अंतिम** शासक था।
- सार्दूल सिंह की मृत्यु के बाद इनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया जिसको **पंचपाना** कहा जाता है।
- **सार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर** में है ।

❖ किशनगढ़ का राठौड़ वंश

- किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना जोधपुर शासक मोटराजा उदयसिंह के पुत्र किशनसिंह ने 1609 ई. में की । इन्होंने सेठोलाव के शासक राव दूदा को पराजित कर यहाँ अपनी स्वतंत्र जागीर की स्थापना की।
- मुगल शासक जहाँगीर ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की।
- 1612 ई. में **किशनसिंह** ने **किशनगढ़ नगर** बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया।
- **किशनसिंह** की हत्या **जोधपुर महाराजा सूरसिंह** के पुत्र **गजसिंह** ने की।
- **किशनसिंह** की **छतरी अजमेर** में **घूघरा घाटी** में स्थित है।
- **किशनसिंह** के बाद **सहलमल** तथा इनके बाद **जगमाल सिंह** किशनगढ़ के शासक बने।

महाराजा स्वरूप सिंह

- स्वरूपसिंह ने रूपनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने बदख्शां में पठानों द्वारा किए गए विद्रोह को दबाया।
- स्वरूपसिंह सामूगढ़ के युद्ध (1658 ई.) में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

महाराजा मानसिंह

- महाराजा स्वरूप सिंह के बाद मानसिंह किशनगढ़ के शासक बने।
- इनकी बहन चारुमति का विवाह मुगल शासक औरंगजेब से तय हुआ था लेकिन मेवाड़ महाराणा राजसिंह ने चारुमति से विवाह कर लिया।

महाराजा राजसिंह

- मानसिंह के बाद राजसिंह किशनगढ़ के शासक बने।
- राजसिंह ने बाहुविलास तथा रसपाय नामक ग्रंथ लिखे तथा इनके काव्य गुरु महाकवि वृंद थे।
- किशनगढ़ चित्रकला शैली के विकास में इनका विशेष योगदान रहा।

महाराजा सावंतसिंह

- सावंतसिंह का राज्याभिषेक दिल्ली में सम्पन्न हुआ।
- ये किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक हुए जिन्होंने कृष्णभक्ति में राज-पाट त्याग दिया तथा वृंदावन चले गये।
- इन्होंने अपना नाम नागरीदास रख दिया। इनकी प्रेयसी का नाम 'बणी-ठणी' था।
- चित्रकार मोरध्वज निहालचंद ने 'बणी-ठणी' का चित्र बनाया जिसे जर्मन विद्वान एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा जाता है।

- सावंतसिंह के काल को किशनगढ़ चित्रशैली के विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है।
- महाराजा सावंत सिंह ने मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका तथा देहदशा आदि ग्रंथों की रचना की।
- यहाँ के शासक सरदार सिंह के समय किशनगढ़ राज्य के दो हिस्से किए गए जिसमें रूपनगढ़ क्षेत्र सरदारसिंह को तथा किशनगढ़ क्षेत्र बहादुरसिंह को दिया गया।

महाराजा बिड़दसिंह

- बहादुरसिंह के निधन के बाद बिड़दसिंह किशनगढ़ के शासक बने।
- इनके समय किशनगढ़ तथा रूपनगढ़ को पुनः एकीकृत कर एक रियासत बनाया गया।

महाराजा कल्याणसिंह

- कल्याणसिंह ने 1817 ई. में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि सम्पन्न की।
- अंग्रेजों ने किशनगढ़ से खिराज नहीं लेना स्वीकार किया।
- कल्याणसिंह ने अपने पुत्र मौखम सिंह को राजकार्य सौंपकर स्वयं मुगल बादशाह की सेवा में दिल्ली चले गये।

महाराजा पृथ्वीसिंह :-

- महाराजा मौखम सिंह के बाद पृथ्वीसिंह शासक बने।
- इनके समय किशनगढ़ राज्य का पहला दीवान अभयसिंह को बनाया गया।
- 1857 के संग्राम के समय किशनगढ़ के शासक पृथ्वीसिंह थे।

महाराजा शार्दूलसिंह :-

- महाराजा पृथ्वीसिंह के बाद उनके पुत्र शार्दुलसिंह किशनगढ़ के शासक बने।
- इन्होंने अपने पुत्र मदनसिंह के नाम पर मदनगंज मण्डी की स्थापना की।
- पृथ्वीसिंह के बाद मदनसिंह शासक बने जिन्होंने किशनगढ़ राज्य में फाँसी की सजा को समाप्त कर दिया।

महाराजा सुमेरसिंह :-

- सुमेरसिंह वर्ष 1939 में किशनगढ़ राज्य के शासक बने।
- सुमेरसिंह को आधुनिक साइकिल पोलो का पिता कहा जाता था।
- 25 मार्च,1948 को द्वितीय चरण में किशनगढ़ का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया।

मराठों का राजस्थान में प्रवेश

पहला आक्रमण:

- पंचोला के युद्ध में परास्त बुद्धसिंह ने पहले उदयपुर में और फिर अपने ससुर बेगूं (मेवाड़) के ठाकुर देवीसिंह के यहाँ आश्रय लिया।
- यहाँ मद्यपान के कारण वह पागल हो गए, लेकिन भाग्यवश एक ऐसा साथी मिला, जिससे उसने मदद प्राप्त की।

प्रतापसिंह की भूमिका:

- सालिमसिंह के बड़े बेटे प्रतापसिंह ने अपने छोटे भाई दलेलसिंह को बूँदी का राजा बनते देखा, जिससे उसका स्वाभिमान आहत हुआ और उसने बुद्धसिंह का साथ देने का निर्णय लिया।
- मालवा पर मराठों का नियंत्रण था और 1733 में मंदसौर में मराठों से पराजय के बाद जयसिंह को अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी।
- बुद्धसिंह की कछवाही रानी ने प्रतापसिंह को दक्षिण भेजकर मराठों से मदद प्राप्त करने का प्रयास किया।

कछवाही रानी का राजनीतिक खेल:

- कछवाही रानी ने भवानीसिंह को बूँदी का शासक बना दिया, हालांकि उसे उसने जन्म नहीं दिया था। बाद में बुद्धसिंह ने उसे अपनाने से मना कर दिया।
- भवानीसिंह को बाद में जयसिंह के आदेश पर मार दिया गया, जिससे कछवाही रानी और बुद्धसिंह के रिश्ते बिगड़ गए।

बूँदी पर मराठों का कब्जा:

- बुद्धसिंह की मृत्यु 1730 में हो गई, लेकिन उसके बेटे उम्मेदसिंह को बूँदी-जयपुर संघर्ष विरासत में मिला।
- कछवाही रानी ने उम्मेदसिंह को फिर से बूँदी दिलवाने का प्रयास किया, और प्रतापसिंह ने होल्कर और सिन्धिया को 6 लाख रुपये देने का वादा किया।
- 18 अप्रैल, 1734 को मल्हार राव होल्कर और राणोजी सिन्धिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूँदी पर आक्रमण किया और 22 अप्रैल को बूँदी पर मराठों का कब्जा हो गया।

राजपूत नेताओं की स्थिति:

- संघर्ष में जालिमसिंह हाड़ा को गंभीर चोटें आईं और वह बंदी बनाकर मराठों के साथ ले जाए गए।
- कछवाही रानी ने होल्कर को राखी बाँधकर उसे भाई बनाया, और उम्मेदसिंह की उम्र छोटी होने के कारण प्रतापसिंह को शासन कार्य सौंपा गया।

जयसिंह का प्रतिरोध:

- मराठों के बूँदी से लौटते ही, जयसिंह ने 20,000 सैनिकों को बूँदी पर आक्रमण करने भेजा। बूँदी पर कब्जा कर दलेलसिंह को शासक बना दिया।

अध्याय – 2

वेशभूषा एवं आभूषण

❖ राजस्थान में पुरुष वस्त्र (वेशभूषा)

➢ **पगड़ी**

- इसको पाग, पेचा, फालियो, साफा, घुमालो, फेटो, सेलो, अमलो, लपेटो, बागा, शिरोत्राण, फेंटा आदि नामो से भी जाना जाता है।
- यह सिर पर लपेटे जाना वाला लगभग 5.5 मीटर लम्बी एवं 40 सेमी. चौड़ी होती है।
- उदयपुर की पगड़ी तथा जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है।
- युद्ध भूमि में केसरिया पगड़ी, दशहरे पर काले रंग की मंदील पगड़ी, होली पर फूल-पत्तियों वाली पगड़ी, विवाह पर पंचरंगी पगड़ी, श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है।
- रक्षाबंधन के अवसर पर बहिन भाई को मोठड़ा साफा देती है।
- मीणा एवं गुर्जर जाति की पगड़ी को फेटा कहते है।
- पगड़ी - उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहांनी पगड़ी के प्रकार है, तो मेवाड महाराणा के पगड़ी बाँधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है।

➢ **धोती**

- पुरुष द्वारा कमर से घुटने तक पहना जाने वाला वस्त्र है।
- आदिवासियों/भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती ढेपाड़ा / डेपाड़ा कहलाती है।
- सहरिया जनजाति के लोग धोती को पंछा कहते है।

➢ **अंगरखी / बुगतरी**

- पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला कुर्ता जिसे बांधने के लिए कसें (डसें) होती है।
- यह प्रायः सफेद रंग का होता है जिस पर कढ़ाई की होती है।

➢ **पोतिया**

- भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोतिया कहलाता है।

➢ **शेरवानी**

- शादियों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो घुटने से लम्बा एवं कोटनुमा होता है।

➢ **पायजामा**

- अंगरखी, चुगा और जामें के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र पायजामा कहलाता है।

➢ **चोगा**

- इसे चोगा भी कहते है। यह अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है।
- ऊनी चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है।

➢ **आतमसुख**

- तेज सर्दी से बचने के लिए शरीर पर ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र।

➢ **बिरजस (ब्रिजेस)**

- यह पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला चूड़ीदार वस्त्र होता है।

➢ **कमरबंध**

- इसे पटका भी कहते है।
- यह जामा के ऊपर कमर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र होता है, जिसे तलवार या कटार को फंसाया जाता है ।

➢ **पछेवड़ा**

- तेज सर्दी में ठण्ड से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा कम्बल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है।

➢ **अंगोछा**

- धूप से बचने के लिए पुरुषों द्वारा सिर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र अंगोछा कहलाता है।
- केरी भाँत का अंगोछा लोकप्रिय है।

- **राजस्थान में पुरुषों के आभूषण**
  - ➢ **सिर**
    - कलंगी, सिरपेच, सेहरा, मुकुट।
  - ➢ **कान**
    - मुरकी, ओगनिया, झेला, लूंग।
  - ➢ **गला**
    - कंठा, चैंकी, फूल।
  - ➢ **हाथ**
    - कड़ा, मूरत, ठाला, ताती, माठीं

❖ राजस्थान में महिलाओं (स्त्रियों) के वस्त्र / वेशभूषा :-

➢ **कुर्ती और कांचली**

- स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से (कमर के ऊपर) पहनी जाती है।
- कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है, जिसमें कांचली के बांहें होती है जबकि कुर्ती के बांहें नहीं होती है।

➢ **घाघरा**

- इसे लहंगा, पेटीकोट, घाबला आदि नामो से भी जाना जाता है।
- यह कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है, जो कलियों को जोड़कर बनाया जाता है।
- आदिवासियों के घाघरे को कछाबू कहते है।
- आदिवासियों के नीले रंग के घाघरे को नांदना कहते है।
- रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है।

➢ **ओढ़नी (लुंगड़ी)**

- महिलाओं द्वारा यह सिर पर ओढ़ी जाती है।
- लहरिया, पोमचा, धनक, चुंदरी, मोठड़ा आदि लोकप्रिय ओढ़नियां है।
- डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है।
- ताराभांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है।

- कल्लाजी की 'रनेला' (चित्तौड़) में सिद्ध पीठ हैं।
- कल्लाजी के गुरु भैरवनाथ थे।
- चित्तौड़गढ़ किले के भैरवपोल के पास कल्लाजी की छतरी बनी हुई है।
- डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है।
- कल्लाजी शेषनाग के अवतार के रूप में पूजनीय है।
- कल्लाजी के थान पर भूत-पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है।

अध्याय – 5

मेले और त्यौहार

राजस्थान के प्रमुख मेले

अजमेर के मेले

- **पुष्कर मेला** - यह मेला पुष्कर (अजमेर) में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला/ सबसे बड़ा रंगीन/रंग बिरंगा / सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन वाला मेला है। ख्वाजा साहब का उर्स - यह उर्स अजमेर में रज्जब माह की । से 6 तारीख तक भरता है। अढ़ाई दिन के झोपड़े में।
- **कल्पवृक्ष मेला** - यह मेला मांगलियावास (अजमेर) में श्रावण मास की हरयाली अमावस्या को भरता है।
- **कार्तिक पशु मेला** - यह पशु मेला पुष्कर (अजमेर) में कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष 2 तक भरता है।

अलवर के मेले

- **चंद्र प्रभु मेला** - यह मेला तिजारा, अलवर में फाल्गुन शुक्ला सप्तमी व श्रावण शुक्ला दशमी को भरता है।
- **नारायणी माता का मेला** - यह मेला बरवा डूंगरी सरिस्का (अलवर) में वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है।
- **हनुमानजी का मेला** - यह मेला पांडुपोल (अलवर) में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी को भरता है।
- **भर्तृहरि मेला** - यह मेला भर्तृहरि (महान योगी भर्तृहरि की तपो भूमि) पर अलवर में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को भरता है। यह कनफटे नाथों की तीर्थस्थली है ।
- **बिलारी माता मेला** - बिलारी माता का यह मेला बिलारी (अलवर) में चैत्र शुक्ला अष्टमी को भरता है।

बाड़मेर के मेले

- **रणछोड़राय का मेला** - यह मेला बाड़मेर जिले के खेड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष राधाष्टमी, माघ पूर्णिमा, बैशाख एवं श्रावण मास की पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा भादवा सुदी चतुर्दशी को भरता है।
- **हल्देश्वर महादेव शिवरात्रि मेला** - यह मेला बाड़मेर जिले के पीपलूद (छप्पन की पहाड़ियों के बीच यह मारवाड़ का लघु माउन्ट आबू है।) में शिवरात्रि के अवसर पर भरता है।
- **रानी भटियाणी का मेला** - यह मेला बाड़मेर जिले के जसोल क्षेत्र में कार्तिक वदी पंचमी को भरता है।
- **बजरंग पशु मेला** - यह मेला बाड़मेर जिले के सिणधरी क्षेत्र में मंगसर वदी तृतीया को भरता है।

बालोतरा के मेले

- **मल्लीनाथ पशु मेला** - यह मेला बालोतरा जिले के तिलवाड़ा क्षेत्र में चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक भरता है।

- ***नाकोड़ाजी का मेला*** - *यह मेला बालोतरा जिले के नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर में पोष कृष्ण दशमी को भरता है।*

बीकानेर जिले के मेले

- ***निर्जला ग्यारस मेला*** - *यह मेला बीकानेर जिले के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ज्येष्ठ सुदी एकादशी को भरता है।*
- ***जम्भेश्वर मेला*** - *यह मेला बीकानेर जिले के मुकाम-तालवा (नोखा) में वर्ष में दो बार - फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को भरता है।*
- ***नागणेची माता का मेला*** - *यह मेला बीकानेर जिले में नवरात्रा के अवसर पर भरता है।*
- ***चनणी चेरी मेला (सेवकों का मेला)*** - *यह मेला बीकानेर जिले के देशनोक में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है।*
- ***कपिल मुनि का मेला*** - *यह मेला बीकानेर जिले के श्री कोलायत जी में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।*
- ***करणी माता का मेला*** - *यह मेला देशनोक (बीकानेर) में नवरात्रा (कार्तिक एवं चैत्र माह में) में भरता है।*

बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मेले

- ***घोटिया अम्बा मेला*** - *यह मेला बांसवाड़ा जिले के घोटिया (बारीगामा) नामक स्थान पर चैत्र अमावस्या को (जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला) भरता है।*
- ***कल्लाजी का मेला*** - *यह मेला बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गढ़ा नामक स्थान पर आश्विन सुदी नवरात्रि प्रथम रविवार को भरता है।*
- ***अंदेश्वर मेला*** - *यह मेला बांसवाड़ा जिले के अंदेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।*
- ***गोपेश्वर मेला*** - *यह मेला बांसवाड़ा जिले के घाटोल के निकट कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।*
- ***मानगढ़ धाम मेला (आदिवासियों का मेला)*** - *यह मेला बांसवाड़ा के आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है।*

चूरू जिले के मेले

- ***भभूता सिद्ध का मेला*** - *यह मेला चूरू जिले के चंगोई (तारानगर) में भादवा सुदी सप्तमी को भरता है।*
- ***गोगा जी का मेला*** - *यह मेला चूरू जिले के ददरेवा गांव में भाद्रपद कृष्णा नवमी (गोगानवमी) को भरता है।*
- ***सालासर बालाजी का मेला*** - *यह मेला चूरू जिले के सालासर (सुजानगढ़) में चैत्र व कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।*

बारां जिले के मेले

- ***सीताबाड़ी का मेला (धार्मिक व पशु मेला)*** - *यह मेला बारां जिले के सीताबाड़ी, केलवाड़ा (सहरिया जनजाति का कुम्भ) नामक स्थान पर ज्येष्ठ अमावस्या (इस मेले में सहरियाओं का स्वयंवर होता है) को भरता है।*
- ***डोल मेला*** - *यह मेला बारां जिले के डोल तालाब पर जलझूलनी एकादशी (भाद्रपद शुक्ला एकादशी) को भरता है। इसमें देवविमानों सहित शोभायात्रा निकलती है।*
- ***ब्रह्माणी माता का मेला*** - *यह मेला बारां जिले के सोरसन में भरता है। यहां पर गधों का मेला भी लगता है।*
- ***फूलडोल शोभा यात्रा महोत्सव (श्रीजी का मेला)*** - *यह मेला बारां जिले के किशनगंज में होली (फाल्गुन मास की पूर्णिमा) के दिन भरता है।*
- ***कपिल धारा का मेला*** - *यह मेला सहरिया क्षेत्र (बारां) में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।*

डीग के मेले

- ***गंगा दशहरा मेला*** - *यह मेला डीग जिले के कामां क्षेत्र में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक भरता है।*
- ***बृज महोत्सव*** – *यह मेला द्वादशी से माघ शुक्ल – डीग जिले में भरता है ।*

भरतपुर के मेले

- ***बसंती पशु मेला*** – *यह मेला माघ अमावस्या से शुक्ल पंचमी तक भरता है ।*
- ***गरुड़ मेला*** - *यह मेला भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर में कार्तिक शुक्ल तृतीया को भरता है।*
- ***भोजन बारी/भोजन थाली परिक्रमा*** – *भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को कामा में भरता है ।*
- ***जसवंत पशु मेला*** - *यह मेला भरतपुर जिले में अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरता है।*

कोटपूतली-बहरोड़ के मेले

- ***बाणगंगा मेला*** - *यह विराटनगर, कोटपूतली-बहरोड़ में वैशाख पूर्णिमा को भरता है।*

जयपुर के मेले

- ***गणगौर मेला*** - *गणगौर मेला जयपुर में चैत्र शुक्ला तीज व चौथ को भरता है।*
- ***शीतलामाता का मेला*** - *यह मेला चाकसू, जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है।*
- ***गधों का मेला*** - *आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकदशी तक लुनियावास (सांगानेर) गांव में भरता है।*
- ***तीज की सवारी एवं मेला*** - *यह जयपुर में श्रावण शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है।*

शाहपुरा के मेले

- ***फूलडोल का मेला (रामस्नेही सम्प्रदाय)*** - *यह मेला **शाहपुरा** जिले के रामनिवास धाम (रामद्वारा) में चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक भरता है।*

भीलवाड़ा के मेले

- ***सवाई भोज का मेला*** - *यह मेला भीलवाड़ा जिले के आसींद में सवाई भोज स्थान पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है।*

अध्याय – 6

लोक कलाएं

(हस्त कला / चित्रकला)

❖ पॉटरी

- चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पॉटरी कहलाती है।
- पॉटरी का उद्भव दमिश्क (सीरिया की राजधानी) में माना जाता है जो फारस, अफगानिस्तान होती हुई भारत आयी।

❖ ब्लू पॉटरी

- चीनी - मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी करना।
- इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है।
- राजस्थान में इसे लाने का श्रेय मानसिंह को है।
- इस कला का सर्वाधिक विकास जयपुर शासक रामसिंह द्वितीय के समय हुआ था।
- इस कला को पुर्नजिवित करने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को है जिनका जन्म स्थान सीकर जिला है।
- कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्म श्री पुरस्कार दिया जा चुका है।
- ब्ल्यू पॉटरी की एकमात्र महिला कलाकार नाथी बाई है।

❖ ब्लैक पॉटरी

- ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है।

❖ कागजी पॉटरी

- कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है।

❖ मोलेला पॉटरी

- मोलेला पॉटरी राजसमन्द की प्रसिद्ध है ।

❖ बीकानेरी पॉटरी (सुनहरी पॉटरी)

- इस पॉटरी में लाख का प्रयोग किया जाता है ।

❖ मूनव्वती / उस्ता कला

- इस कला में ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है।
- यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है।
- हीसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार हैं , जिन्हें इस कला के लिए वर्ष 1986 में पद्मश्री दिया गया था। मुहम्मद हनीफ उस्ता, कादर बक्श इसके कारीगर हैं ।
- उस्ताकला को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में कैमल हाईड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना 15 अगस्त , 1975 को की गई थी जिसके प्रथम निदेशक हीसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया था।
- इलाही बक्श ने ऊँट की खाल पर बीकानेर शासक महाराजा गंगासिह का चित्र बनाया ।

❖ मथैरणा कला

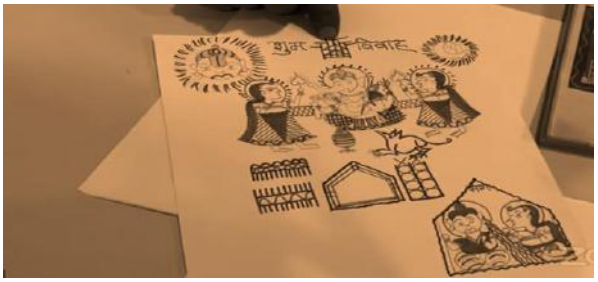

- इस कला में कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला में ईसर , गणगौर, देवी - देवताओं की भीत्ति चित्र बनाये जाते हैं । मुन्नालाल, चन्दूलाल मथैरणा कला के प्रमुख कारीगर थे।

❖ मीनाकारी

- विभिन्न रंगों की मूल्यवान रत्नों पर मीनें की सहायता से तथा सोने - चाँदी के आभूषणों पर चित्रकारी या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते है।
- मीनाकारी कला का उद्भव पर्शिया (ईरान) में माना जाता है।
- लाल रंग बनाने में जयपुर के कलाकार कुशल है।
- मीनाकारी में फूल-पत्ती, मोर आदि का अंकन प्रायः किया जाता है।
- कोटा के रेतवाली क्षेत्र में कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम किया जाता है।
- कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी करने के लिए बीकानेर के मीनाकार प्रसिद्ध है।
- इसे चौसरों के समय फारस में लाया गया और फारस से मुगलों द्वारा लाहौर में लायी गई जहाँ पर सिक्खों द्वारा यह कार्य किया जाता है।
- लाहौर से महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा आमेर में लाया गया।
- जिसमें मुख्य मीनाकार हरिसिंह, अमरसिंह, किशनसिंह, गोभासिंह, श्यामसिंह थे।

राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ

जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ

❖ **पटवों की हवेली**

➢ इस हवेली को 1805 ई. में गुमानचन्द बापना ने बनवाया था।
➢ यह हवेली पाँच मंजिला है जिसमें प्रथम मंजिल जहाज के आकार की, दूसरी मंजिल आयताकार तथा पाँचवीं मंजिल पर स्वतंत्र रथ आकार के जाली - झरोखे हैं।
➢ इस हवेली में हिन्दू, मुस्लिम, ईरानी, व यहूदी शैली का मिश्रण बना है।

❖ **सालिम सिंह की हवेली**

➢ जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिमसिंह ने 1815 ई. में इस हवेली का निर्माण करवाया।
➢ यह जैसलमेर की सबसे ऊँची इमारत है।

❖ **नथमल की हवेली**

➢ इस हवेली का निर्माण हाथी और लालू नामक दो भाईयों ने 1881-85 ई . के बीच करवाया।
➢ पीले पत्थर से निर्मित दो हाथी हवेली के दरवाजे पर खड़े हैं जो द्वारपालों का आभास करवाते हैं।

❖ **राव राजा बर्सलपुर की हवेली - जैसलमेर**
❖ **सोढ़ों की हवेली - जैसलमेर**
❖ **दीवान आचार्य ईसरलालजी की हवेली - जैसलमेर**

शेखावटी

❖ **नवलगढ़ हवेली (झुंझुनूँ)**
➢ इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं।
➢ भगतों की हवेली यहाँ की सबसे विशाल हवेली है।
❖ **सोने-चाँदी की हवेली (महनसर, झुंझुनू)**
❖ **माल जी का कमरा (चुरू)**
➢ इस कमरे का निर्माण सेठ शोभाचंद कोठारी के पुत्र मालचंद कोठारी ने करवाया था।
➢ यह भित्ति चित्रों के लिये प्रसिद्ध है।
❖ **रामनाथ गोयनका की हवेली :** मंडावा (झुंझुनू)
❖ **पंसारी की हवेली :** श्रीमाधोपुर (जीमकाथाना)
❖ **मन्त्रियों की हवेली :** चुरू
❖ **सुराणों की हवेली :** चुरू (चुरू का हवामहल)
❖ **खेतड़ी महल :** झुंझुनू (राजस्थान का दूसरा हवा महल)

जोधपुर

❖ **पुष्य हवेली- जोधपुर**
➢ पुष्य हवेली विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है, जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षय से बना है।
➢ पुष्य हवेली का निर्माण जसवन्त द्वितीय के कामदार पुष्करना रघुनाथमल जोशी उर्फ भूरजी ने करवाया।
❖ **बड़े मियां की हवेली**
❖ **राखी हवेल**

बीकानेर

❖ **रामपुरिया हवेली**
❖ **बच्छावतों की हवेली - कर्णसिंह बच्छावत ने बनवायी थी।**
❖ **मुंधड़ा हवेली**
❖ **मोहता हवेली**

बागौर हवेली- उदयपुर

➢ इसके निकट पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र स्थित है। यहाँ संसार की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है।

अध्याय – 3

राजस्थान विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना , गठन , कार्यकाल , प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) हैं जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है ।

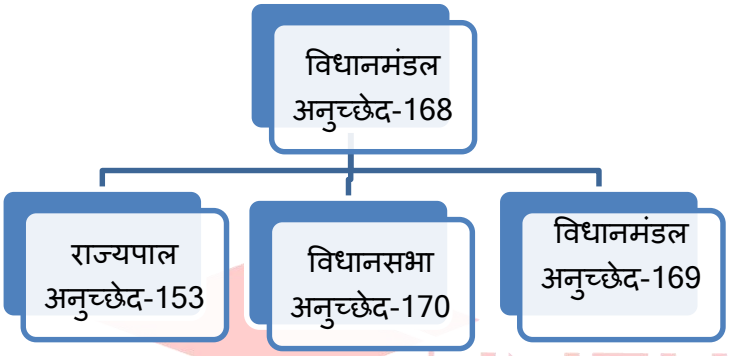

- **राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा**

- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है ।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।(फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है। **NOTE – संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।**

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404) , पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)

NOTE : – दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है। जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है लेकिन प्रथम आम चुनाव (वर्ष 1952) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद् (24 सीटें) थी । छठी विधानसभा (वर्ष 1977) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।
- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद् का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद् का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

NOTE – विधानपरिषद् के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।

- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद् हैं 1. आंध्रप्रदेश 2 तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक

- **NOTE – अप्रैल, 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था । जिसमें विधानपरिषद् की संख्या 66 निर्धारित की गई थी । इस पर अगस्त, 2013 में राज्यसभा एक विधेयक लाया गया था जो वर्तमान में लम्बित है ।**

अनुच्छेद 171 - विधान परिषद् की संरचना

संख्या : - इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक - तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है।

NOTE :- इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है।

निर्वाचन पद्धति :- विधानपरिषद् के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।

विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से –

(i) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका , जिला परिषद् आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है।

(ii) 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।

(iii) 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य , ज्ञान , कला , सहकारिता , समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।

(iv) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते हैं जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं ।

(v) 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ।

इस प्रकार विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता ।

NOTE-राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल :

- राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं ।
- इस तरह एक सदस्य छह वर्ष के लिए सदस्य बनता है । खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन (राज्यपाल द्वारा) हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है ।
- सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं ।

- **अनुच्छेद 172** राज्यों के विधान मण्डलों की अवधि
- अनुच्छेद 172 (1) विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है ।
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार मे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है । आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात् बढ़ायी गई अवधि 6 माह तक रह सकती है । राजस्थान की 5 वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था । अतः राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा 5 वीं थी ।
- अनुच्छेद 172 (2) विधान परिषद् एक स्थायी सदन है , इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है । प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं ।
- **अनुच्छेद 173 विधानमंडल (विधानपरिषद् व विधानसभा)** के सदस्यों के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ

विधानपरिषद्	**विधानसभा**
भारत का नागरिक हो ।	वह भारत का नागरिक हो।
वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।	वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता धारण करता हो ।	वह पागल या दिवालिया न हो ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन का निर्वाचक होना चाहिए	वह शासकीय सेवा में न हो अर्थात् किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो
राज्यपाल उसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो राज्य का मूल निवासी हो ।	संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो ।

अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधान मण्डल का सत्राहूत , सत्रावसान व विधानसभा को भंग (विघटित) कर सकता है ।

- विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है ।
- दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता अर्थात् वर्ष में कम से कम दो सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है । **दो सत्रों के बीच के अंतराल को विश्रांतिकाल कहा जाता है।**
- एक वर्ष में सामान्यतः तीन सत्रों (बजट सत्र , मानसून सत्र , शीतकालीन सत्र) का आयोजन किया जाता है ।
- विधानसभा का सत्रावसान (सत्र समाप्त) राज्यपाल करता है लेकिन स्थगन / स्थगित विधान सभाध्यक्ष करता है ।
- कुछ विशेष कारणों अनुशासनहीनता , अव्यवस्था , शोर - शराबें आदि के कारण सदन की बैठक को अस्थायी रूप से रोक देना , **स्थगन कहलाता** है ।
- जब विधान मण्डल की बैठकों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को **' साइन - डाई '** कहा जाता है । स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है सत्र नहीं , लेकिन सत्रावसान से बैठक के साथ - साथ सत्र भी समाप्त हो जाता है ।
- राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद् (मुख्यमंत्री) की सलाह पर विधानसभा को भंग (विघटित) कर सकता है ।

अनुच्छेद 175 विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण और किसी लंबित विधेयक के संबंध में उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

राजस्थान विधान सभा भवन

- वर्ष 1952 से 2000 तक सवाईमान सिंह टाउनहॉल राजस्थान विधानसभा के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- 11वीं विधानसभा के 5वां सत्र यहां का अंतिम सत्र था, जो 6 नवंबर, 2000 को सवाई मान सिंह टाउन हॉल में आयोजित किया गया था।
- राजस्थान विधानसभा की नई इमारत भारत में सबसे आधुनिक विधानमंडल परिसरों में से एक है।
- यह इमारत ज्योति नगर, जयपुर में एक विशाल 16.96 एकड़ परिसर में स्थित है।इस परियोजना पर काम नवंबर, 1994 में शुरू हुआ और मार्च 2001 में पूरा हुआ।
- भवन का बाहरी भाग राजस्थान की प्रसिद्ध परंपरागत स्थापत्य का शानदार नमूना है।
- जोधपुर और बंसी पहाड़ पत्थर के उपयोग से इस इमारत का निर्माण किया गया है।
- बिल्डिंग 145 फीट की ऊँचाई और 6.08 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र वाली आठ मंजिला फ्रेम संरचना है।
- मुख्य गुंबद 104 फीट की व्यास का है। विधानसभा में 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

क्र.	विधानसभा अध्यक्ष	कार्यकाल
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी	31.03.1952 से 25.04.1957
2.	श्री रामनिवास मिर्धा	25.04.1957 से 03.05.1967
3.	श्री निरंजन नाथ आचार्य	03.05.1967 से 20.03.1972
4.	श्री रामकिशोर व्यास	20.03.1972 से 18.07.1977
5.	श्री लक्ष्मणसिंह	18.07.1977 से 20.06.1979
6.	श्री गोपालसिंह	25.09.1979 से 07.07.1980
7.	श्री पूनमचंद विश्नोई	07.07.1980 से 20.03.1985
8.	श्री हीरालाल देवपुरा	20.03.1985 से 16.10.1985
9.	श्री गिरिराजप्रसाद तिवारी	31.01.1986 से 11.03.1990
10.	श्री हरिशंकर भाभड़ा	16.03.1990 से 21.12.1993 30.12.1993 से 05.10.1994
11.	श्री शांतिलाल चपलोत	07.04.1995 से 18.03.1998
12.	श्री समरथलाल मीणा	24.07.1998 से 04.01.1999
13.	श्री परसराम मदेरणा	06.01.1999 से 15.01.2004
14.	श्रीमती सुमित्रासिंह	16.01.2004 से 01.01.2009
15.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	02.01.2009 से 20.01.2014
16.	श्री कैलाश मेघवाल	22.01.2014 से 15.01.2019
17.	श्री सी.पी. जोशी	16.01.2019 से लगातार

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 8

सूचना का अधिकार अधिनियम एवं राज्य सूचना आयोग

- विश्व में सर्वप्रथम 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ ।
- भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता ' अरुणा रॉय ' को माना जाता है । इन्होंने 1995-96 में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) बनाकर चाँदगेट , ब्यावर (अजमेर) से सूचना का अधिकार हेतु आन्दोलन चलाया । सूचना का अधिकार दिलाने में अरुणा रॉय के मजदूर किसान शक्ति संगठन व अरविंद केजरीवाल के ' परिवर्तन संगठन ' की महत्वपूर्ण भूमिका रही । अतः इन दोनों को एशिया के नोबेल पुरस्कार ' रमन मैग्सेस ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम 1997 में तमिलनाडु व गोवा में लागू किया गया ।
- राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 2000 में अशोक गहलोत सरकार के समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया जो 26 जनवरी, 2001 से प्रभावी हुआ ।
- तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 15 जून , 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को तात्कालिक राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा मंजूरी प्रदान की गई जो 12 अक्टूबर , 2005 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ ।
- राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ ।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया।
- आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और चार राज्य सूचना आयुक्त के पद सृजित हैं।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13 अप्रैल, 2006 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है लेकिन 18 अप्रैल, 2006 से लागू हुआ।

➢ श्री टी. श्रीनिवासन RIC के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।

Q. राजस्थान सुचना आयोग का गठन कब हुआ था?
(A) 18 अप्रैल 2008 (B) 18 अप्रैल 2006
(C) 18 अप्रैल 2007 (D) 18 अप्रैल 2005
उत्तर – (B)

- राज्य के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कोरानी को राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई।
- आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।
- **नियुक्ति-** मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ।

चयन समिति : (1) मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
(2) विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ।
(3) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री।

योग्यता :

1. राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि , प्रशासन , समाज सेवा , वैज्ञानिक, जनसंचार आदि का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए ।
2. विधानमण्डल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
3. केन्द्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो ।

- **कार्यकाल** -इसका निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा (2019 में संशोधन द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो) ।
- **शपथ :** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है ।
- **त्यागपत्र** -राज्यपाल को
- **पद से हटाया जाना** -राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को **सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर** उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकेगा । **वार्षिक रिपोर्ट :** राज्य सरकार को सौंपी जाती है , राज्य सरकार इसे विधानमण्डल के समक्ष रखती है ।
- **वेतन - भत्ते :** सूचना के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा ।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष :

क्र.सं.	नाम
1.	एम.डी. कोरानी
2.	टी . श्रीनिवासन
3.	सुरेश कुमार चौधरी
4.	डी.बी. गुप्ता (दिसम्बर, 2020 से लगातार...)

NOTE- सूचना उन सभी सरकारी या सार्वजनिक संस्थाओं से माँगी जा सकती है , जो अनुच्छेद -12 के तहत् राज्य की परिभाषा मे आती है ।
लेकिन निम्न संस्थाओं से सूचना नहीं माँगी जा सकती :

- इंटेलीजेंस ब्यूरो (I.B.)
- रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (R & AW)
- क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (C.I.D.)
- सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (C.B.I.)
- सैन्य व सशस्त्र बल
- निजी संस्थाएं आदि

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – I

सामान्य परिचय

राजस्थान का विस्तार –इसका अध्ययन करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए-

1. भूमध्य रेखा (विषुवत रेखा)
2. कर्क रेखा
3. मकर रेखा
4. अक्षांश
5. देशांतर

इन मानचित्र को ध्यान से समझिए-

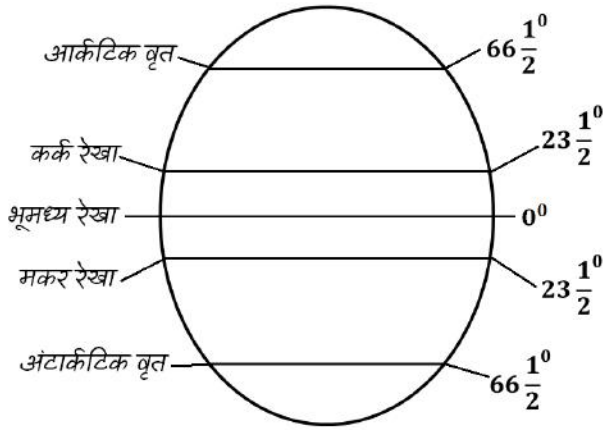

मानचित्र – I

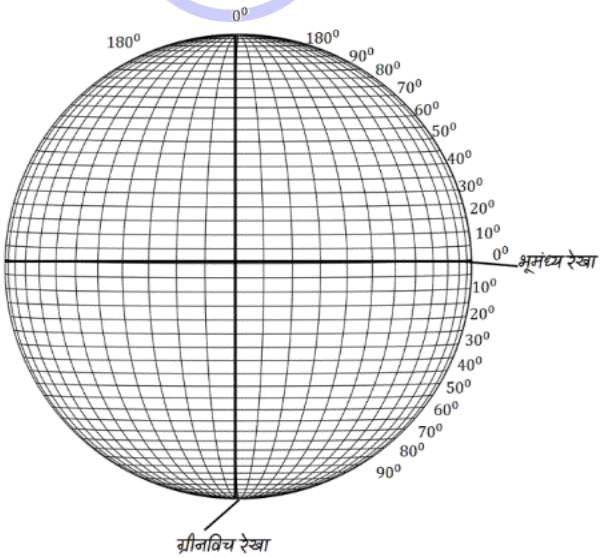

मानचित्र – 2

नोट - भूमध्य रेखा :- "विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा" पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्द्धों, उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित करती है।

इस रेखा पर प्रायः वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती, यही कारण है कि इसे **विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा** कहा जाता है।

विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है व दक्षिण में मकर रेखा है।

नोट- पृथ्वी या ग्लोब को दो काल्पनिक रेखाओं द्वारा "उत्तर - दक्षिण तथा पूर्व - पश्चिम"में विभाजित किया गया है। इन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जानते है।

अक्षांश रेखाएँ - वह रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई है, अर्थात् भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते है। **भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा** माना गया है। (देखें मानचित्र -I)

ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या (90^0 उत्तरी गोलार्द्ध में और 90^0 दक्षिणी गोलार्द्ध में) कुल 180^0 है तथा अक्षांश रेखा को शामिल करने पर इनकी संख्या 181^0 होती है।

देशांतर रेखाएं- उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360^0 रेखाओं को देशांतर रेखाएँ कहा जाता है।

पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर - दक्षिण दिशा में खींची गयी। **काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर , देशान्तर , मध्यान्तर रेखाएं कहते हैं।**

- ग्रीनविच, (जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है) से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं।
- इसका मान देशांतर है तथा यहाँ से हम 180^0 डिग्री पूर्व या 180^0 डिग्री पश्चिम तक गणना करते है।

नोट –उपर्युक्त विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारी अन्य पुस्तक ''भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़े"।

राजस्थान का **अक्षांशीय विस्तार 23°03" से 30°12" उत्तरी अक्षांश** ही तक है जिसका **अंतर 7°09 मिनट** है। जबकि राजस्थान का **देशांतरीय विस्तार 69°30" से 78°17" पूर्वी देशांतर** है। जिसका अंतर **8°47 मिनट है।** (देखें मानचित्र A, B)

विस्तार:-

राजस्थान राज्य की **उत्तर से दक्षिण** तक की **कुल लंबाई 826 किलोमीटर** है तथा इसका विस्तार उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गाँव से दक्षिण में बाँसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गाँव तक है।
इसी प्रकार **पूर्व से पश्चिम तक** की **चौड़ाई 869 किलोमीटर** है तथा विस्तार पूर्व में धौलपुर जिले के जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलाना गाँव, राजाखेड़ा तहसील से पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गाँव (सम-तहसील) तक है।

आकृति

विषम कोणीय चतुर्भुज या **पतंग** के आकार के समान है।
राज्य की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर (1070 अंतर्राष्ट्रीय व 4850 अंतर्राज्यीय) है।

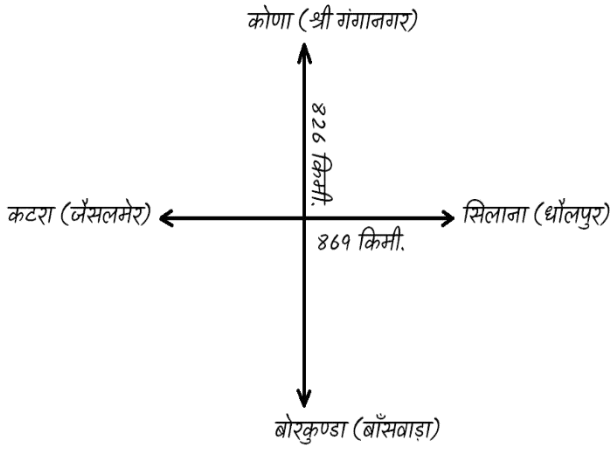

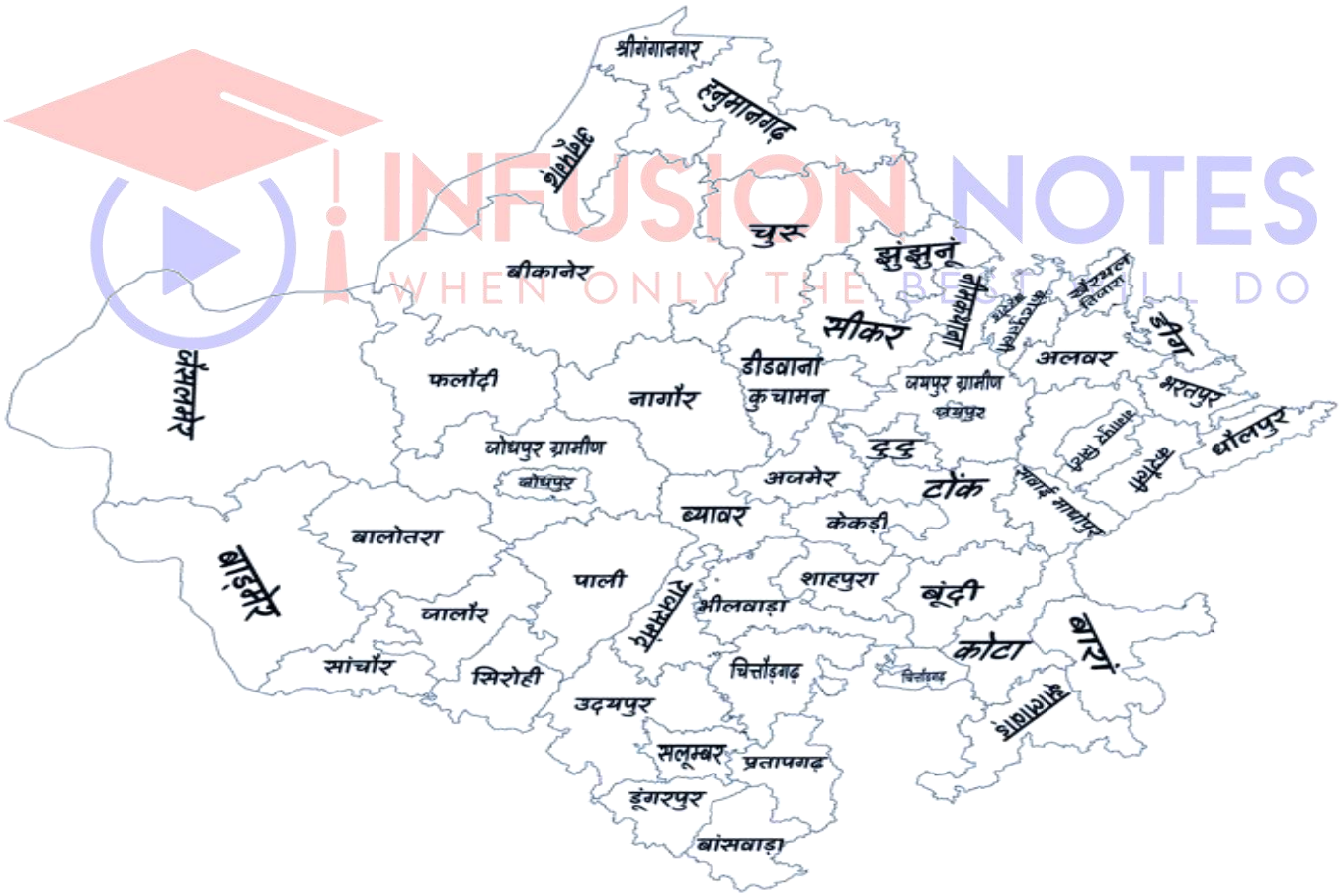

रेडक्लिफ रेखा

- रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरिल एम रेडक्लिफ को माना जाता है।
- रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई।
- इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3310 किलोमीटर है।

रेडक्लिफ रेखा पर भारत के चार राज्य स्थित है।

1. जम्मू-कश्मीर (1216 कि.मी.)
2. पंजाब (547 कि.मी.)
3. राजस्थान (1070 कि.मी.)
4. गुजरात (512 कि.मी.)

- राजस्थान के पांच पड़ोसी राज्य हैं । पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात

शॉर्ट ट्रिक

गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले हैं।

"उदय डूंगर पर बासि बाड़ा सांचा"

सूत्र		जिला
उदय	-	उदयपुर
डूँगर पर	-	डूंगरपुर
बां	-	बाँसवाड़ा
सि	-	सिरोही
बाड़	-	बाड़मेर
सांचा	-	सांचौर

राजस्थान की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले हैं।

"सादा पँचक बना माही"

सूत्र		जिला
सा	-	साबरकाठा
दा	-	दाहोद
पंच	-	पंचमहल
क	-	कच्छ
बना	-	बनासकंठा
माही	-	माहीसागर

❖ **अन्य तथ्य**

26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम राजस्थान पड़ा।

राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवम्बर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे।

26 वाँ जिला – अजमेर - 1 नवम्बर, 1956

27 वाँ जिला – धौलपुर - 15 अप्रैल, 1982, यह भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना।

28 वाँ जिला- बारां - 10 अप्रैल, 1991, यह कोटा से अलग हो कर नया जिला बना।

29 वाँ जिला – दौसा - 10 अप्रैल, 1991, यह जयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

30 वाँ जिला राजसंमद – 10 अप्रैल, 1991, यह उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

31 वाँ जिला – हनुमानगढ़ - 12 जुलाई, 1994, यह श्रीगंगानगर से अलग होकर नया जिला बना।

32 वाँ जिला करौली 19 जुलाई, 1997, यह सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना।

33 वाँ जिला – प्रतापगढ़ - 26 जनवरी, 2008, यह तीन जिलों से अलग होकर नया जिला बना।

1. चित्तौड़गढ़ - छोटीसादड़ी, आरनोद, प्रतापगढ़ तहसील
2. उदयपुर - धारियाबाद तहसील
3. बाँसवाड़ा- पीपलखुट तहसील

- प्रतापगढ़ जिला परमेश चन्द कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया ।
- प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल, 2008 से शुरू किया।
- **प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल व देवला / देवलीया के नाम से** जाना जाता था।

राजस्थान के दो जिले खण्डित जिले हैं - 1. अजमेर – टॉडगढ़ 2. चित्तौड़गढ़ - रावतभाटा

राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को **रामलुभाया समिति** के सुझावों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 और नए जिलें बनानें की घोषणा की। इसके साथ ही राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गयी तथा 3 नये संभाग बनाये गए जिससे संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गयी।

नये जिलों के गठन के लिए 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गयी ।

6 अगस्त 2023 को अधिसूचना का गजट में प्रकाशन हुआ।

7 अगस्त 2023 से अधिसूचना प्रभावी हुई।

3 नए संभाग इस प्रकार हैं-

बांसवाड़ा, पाली व सीकर

19 नए जिले निम्नलिखित हैं-

अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल, नीमकाथाना, सलूंबर, सांचौर और शाहपुरा

अनूपगढ़-

- श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला अनूपगढ़ गठित किया गया है ।
- इसमें 7 तहसील (अनूपगढ, रायसिंहनगर, श्रीविजयनगर, घड़साना, रावला, छत्तरगढ़, खाजूवाला) हैं।
- छत्तरगढ़ और खाजूवाला को बीकानेर से जोड़ा गया है, अन्य को श्रीगंगानगर से जोड़ा गया है।

बालोतरा -

- बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला बालोतरा गठित किया गया है ।
- इस जिले में 7 तहसील (पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतु, गिड़ा, सिणधरी) हैं।

डीडवाना-कुचामन -

- नागौर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनूं, परबतसर, मकराना, नावां, कुचामनसिटी) हैं।

डीग -

- भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीग गठित किया गया है।
- इस जिले में 9 तहसील (डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामां, जुरहरा, पहाड़ी) हैं।

अध्याय – 8

जनसंख्या-वृद्धि घनत्व साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ

2021 की अनुमानित जनसंख्या

2020 में राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या	79,502,477
2021 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या	41,235,725
2021 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या	38,266,753

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या

2011 में राजस्थान की कुल आबादी	**68,548,437**
पुरुषों की जनसंख्या	35,554,169
महिलाओं की जनसंख्या	32,994,268
भारत की जनसंख्या (प्र.)	**5.66%**
लिंग अनुपात	928
बच्चों का लिंग अनुपात	888
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	200
घनत्व (मील प्रति वर्ग)	519
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.)	342,239
क्षेत्र (मील प्रति वर्ग)	132,139
बच्चे (0-6 वर्ष)	10,649,504
लड़के (0-6 वर्ष)	5,639,176
लड़कियां (0-6 वर्ष)	5,010,328
साक्षरता	**66.11%**
साक्षरता पुरुष (प्र.)	79.19%
साक्षरता महिलाएं (प्र.)	52.13%
कुल साक्षर	38,275,282
साक्षर पुरुष	23,688,412
साक्षर महिलाएं	14,586,870

राजस्थान की आबादी – धर्म के अनुसार विवरण

धर्म	2011 जनसंख्या	प्रतिशत	2021 की अनुमानित जनसंख्या
हिंदू	60,657,103	**88.49%**	70,350,108
मुसलमान	6,215,377	**9.07%**	7,208,594
ईसाई	96,430	0.14%	111,840
सिख	872,930	1.27%	1,012,424
बौद्ध	12,185	0.02%	14,132
जैन	622,023	0.91%	721,422
अघोषित	67,713	0.10%	78,534
अन्य	4,676	0.01%	5,423
कुल	**68,548,437**	**100.00%**	**79,502,477**

राजस्थान जनसंख्या तथ्य

विवरण	जिला	2011 के अनुसार
सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला	जयपुर	6,626,178
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला	जैसलमेर	6,69,919
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला	डूंगरपुर	994
सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला	धौलपुर	846
सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला	कोटा	76.56%
सबसे कम साक्षरता वाला जिला	जालौर	54.86%

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

मूल अधिकार अधिकांशतः नकारात्मक हैं जो राज्य को कुछ करने से।

- *मना करता है जब कि निदेशक तत्व **अधिकांशित** सकारात्मक हैं जो राज्य को कुछ करने का निर्देश देता है।*
- ***मूल** अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता जैसे जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है जब की तत्त्वों का त्याग किया जा सकता है।*
- *राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनु. 20 व 72 को रोककर मूल अधिकार को निलम्बित किया जा सकता है किन्तु निदेशक तत्वों को किसी भी दशा में निलम्बित नहीं किया जा सकता।*
- *मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना जबकि निदेशक तत्वो का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रसस्थ करना है।*

मूल कर्तव्य

- *मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से सम्बंधित भाग को सम्मिलित नहीं किया गया था।*
- *42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नए भाग IV-A और इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 51(a) जोड़ा गया।*
- *इसके द्वारा इस भाग में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया।*
- *11वें मूल कर्तव्य को 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।*
- *इनकी प्रेरणा भूतपूर्व सोवियत संघ(USSR) के संविधान से ग्रहण की गयी।*
- *सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 जिसे "मिनी कॉन्सटीट्यूशन" भी कहा जाता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।*
- *इसके तहत, विभिन्न अनुच्छेदों और यहाँ तक की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया।*
- *सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने और इनके अनुपालन न किये जाने पर दंड के प्रावधान की सिफारिश की गयी थी।*
- *सर्वोच्च्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश P.N भगवती (1985-86) को जनहित याचिका का जनक (father of PIL) कहा जाता है।*
- *किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है ऐसा सर्वोच्च्य न्यायालय ने विजय इमैनुअल बनाम केरल केरल राज्य (1986) मामले में ऐसा कहा।*
- *मूल कर्तव्यों को मुख्यत : दो वर्गो -नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा गया है।*
- *मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।*

अध्याय – 10

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति पद अर्हताएँ (अनुच्छेद 58)

- *भारत का नागरिक हो।*
- *न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।*
- *वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।*
- *वह की लाभ के पद पर कार्यरत न हो।*
- *वह पागल या दिवालिया न हो*
- *भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से (आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।*

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले सदस्य –

- *राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।*
- *भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचको द्वारा होता है।*
- *भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।*
- *राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नही होगा यदि वह विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो।*
- *राज्यों की विधान सभायें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नही लेता है।*

राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office)

- ***अनु. 56** के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती है।*
- *संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है।*
- *अनु. 61(1) के तहत, महाभियोग हेतु एकमात्र आधार 'संविधान का अतिक्रमण' उल्लिखित है।*
- *यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा*
- *यदि उपराष्ट्रपति, का पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।*
- *पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।*

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp https://wa.link/0hjokf 1 web.- https://shorturl.at/Q6pjL

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp https://wa.link/0hjokf 2 web.- https://shorturl.at/Q6pjL

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
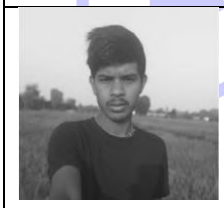	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

whatsapp https://wa.link/0hjokf 3 web.- https://shorturl.at/Q6pjL

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
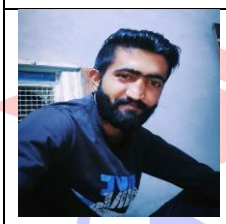	**Govinda Jangir**	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

Click on the below link to purchase notes

WhatsApp करें - https://wa.link/0hjokf

Online Order करें - https://shorturl.at/Q6pjL

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO